न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सीता शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 202 GCMS No.:- 2023/188 **दायर दिनांक : 10.08.2023**

1. मांगीलाल
2. कृष्णलाल उर्फ किशनलाल

} पुत्रगण लाधूराम अकवाम जाट निवासीयान भोजूसर तहसील सूरतगढ़

—वादीगण

बनाम

1. फुलाराम पुत्र हीराराम जाति बावरी निवासी करडू तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित 111 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :

1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषक वादीगण
2. पैरोकार राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 25.06.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक वादीगण उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 111 एल. आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही भोजूसर तहसील सूरतगढ़ में वादीगण के पिता लाधूराम पुत्र कालूराम के नाम से खसरा नं. 66 में 5.603 है0 व प्रतिवादी सं. 1 को खसरा नं. 65 में 12.848 है0 रकबा आवंटित था। लाधूराम के स्वर्गवास उपरान्त उक्त रकबा वारिसान के नाम दर्ज हुआ, जो शेष वारिसान के द्वारा अपने नाम अंकित [illegible]त्याग कर दिये जाने के कारण वादीगण के नाम [illegible] उक्त खसरा नं. 65 व 66 का सेटलमेंट विभाग / [illegible]रियों द्वारा नक्शा में [illegible] करते समय प्रतिवादी सं. 1 का खसरा नं. 65 [illegible]2.848 है0 के स्थान पर

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.27 16:02:05 IST
Reason: SelfAttested

लगभग 13.601 है0 भूमि नक्शा लट्ठे में अंकित कर दी, जबकि 12.848 है0 अंकित होनी थी। नक्शा लट्ठे में तरमीम करते समय वादीगण के नाम अंकित भूमि खसरा नं. 66 में 5.603 है0 भूमि के स्थान पर लगभग 3.920 है0 भूमि अंकित कर दी एवं वादीगण की शेष भूमि खसरा नं. 65 में अंकित कर दी जो मौका पर वादीगण के कब्जा काश्त में है, किन्तु नक्शा लट्ठे में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित भूमि खसरा नं. 65 में दर्ज है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 2 के समक्ष रोही भोजूसर के खसरा नं. 65 व 66 की नक्शा भूमि की तस्दीक लेने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया व नक्शे में रिकॉर्ड में तरमीम करवाने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी सं. 2 द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेते हुए मूल ही प्रार्थना–पत्र वादी सं. 1 को बहवाले सायल दर्ज करते हुए लौटा दिया और नक्शा में तरमीम करने से स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये, इसलिए वादीगण ने वाद के साथ खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, आंशिक नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर रोही भोजूसर तहसील सूरतगढ़ के नक्शा लट्ठे में खसरा नं. 65 में अंकित लगभग 13.601 है0 भूमि में से लगभग 0.753 है0 भूमि कलमजन कर, यह भूमि खसरा नं. 66 में तरमीम कर, इस लगभग 0.753 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किये जाने एवं रोही भोजूसर के खसरा नं. 65 व 66 में मौका पर काबिज वादीगण की भूमि में प्रतिवादी को स्वयं या अन्य किसी से दखलन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये चिरस्थयी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने तथा उक्त घोषणा की पालना में नक्शा में वादीगण का रकबा तरमीम किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये साधारण व पंजीकृत सम्मन तलब किया गया। बावजूद पंजीकृत सूचना उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 20.03.2024 को प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये [illegible] की ओर जवाब दावा प्रस्तुत हुआ। जवाब आने के पश्चात साक्ष्य लिये [illegible] वादी सं. 1 ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिरह [illegible]वादी शून्य रही। वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.27 16:02:05 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

और साक्ष्य नहीं करवाने पर साक्ष्य वादीगण बन्द किये गये। बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए रोही भोजूसर तहसील सूरतगढ़ के नक्शा लट्ठे में खसरा नं. 65 में अंकित लगभग 13.601 है0 भूमि में से लगभग 0.753 है0 भूमि कलमजन कर, यह भूमि खसरा नं. 66 में तरमीम कर, इस लगभग 0.753 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किये जाने एवं रोही भोजूसर के खसरा नं. 65 व 66 में मौका पर काबिज वादीगण की भूमि में प्रतिवादी को स्वयं या अन्य किसी से दखलन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये चिरस्थयी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने तथा उक्त घोषणा की पालना में नक्शा में वादीगण का रकबा तरमीम किये जाने की प्रार्थना की। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बहस श्रवण के पश्चात् बहस के परिपेक्ष्य में वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों सहित पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण ने रोही भोजूसर के नक्शा लट्ठे में खसरा नं. 65 में अंकित लगभग 13.601 है0 भूमि में से लगभग 0.753 है0 भूमि कलमजन कर, यह भूमि खसरा नं. 66 में तरमीम कर, इस लगभग 0. 753 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करवाना चाहा है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 रोही भोजूसर के खाता सं. 95/70 के खसरा नं. 65 में 12.848 है0 रकबा प्रतिवादी सं. 1 के नाम व खाता सं. 129/136 के खसरा नं. 66 में 5.603 है0 रकबा वादीगण के नाम खातेदार अंकित है, जबकि वादी सं. 1 मांगीलाल द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.07.2023 पर अंकित पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार रोही भोजूसर के खसरा नं. 66 व 65 का रकबा मुताबिक जमाबन्दी 2071 से 2074 क्रमशः 5.603 है0 व 12.84 [illegible] जबकि रोही भोजूसर के लट्ठे में खसरा नं. 65 में लगभग 13.601 है0 व खसरा नं. 66 में लगभग 3.92 है0 रकबा दर्ज है। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रतिवादी सं. 2 ने

क्रमशः ..... पेज 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.27 16:02:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं मुताबिक पटवारी रिपोर्ट वादीगण का वाद सन्देह से परे सिद्ध है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर रोही भोजूसर तहसील सूरतगढ़ के नक्शा लट्ठे में खसरा नं. 65 में अंकित लगभग 13.601 है0 भूमि में से लगभग 0.753 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को इसी अनुसार रोही भोजूसर के खसरा नं. 65 में अंकित लगभग 13.601 है0 भूमि में से लगभग 0.753 है0 भूमि कलमजन कर, नक्शा में खसरा नं. 66 में वादीगण के नाम तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो रोही भोजूसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 65 व 66 में मौका पर काबिज वादीगण की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करावें। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.27 16:02:05 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **सीता शर्मा, आर.ए.एस.**

अनवान :–

1. **मांगीलाल**
2. **कृष्णलाल उर्फ किशनलाल** } **पुत्रगण लाधूराम अकवाम जाट निवासीयान भोजूसर तहसील सूरतगढ़**

–वादीगण

बनाम

1. **फुलाराम पुत्र हीराराम जाति बावरी निवासी करडू तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
2. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 188 व 209 आर.टी.ए. सपठित 111 एल.आर. एक्ट मुकदमा नं. 202 वर्ष 2023 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर रोही भोजूसर तहसील सूरतगढ़ के नक्शा लट्ठे में खसरा नं. 65 में अंकित लगभग 13.601 है0 भूमि में से लगभग 0.753 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को इसी अनुसार रोही भोजूसर के खसरा नं. 65 में अंकित लगभग 13.601 है0 भूमि में से लगभग 0.753 है0 भूमि कलमजन कर, नक्शा में खसरा नं. 66 में वादीगण के नाम तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो रोही भोजूसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 65 व 66 में मौका पर काबिज वादीगण की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करावें।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25.6.2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.27 16:02:05 IST
Reason: SelfAttested